दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone 0788-2359400

क्र. 1591 /अका./का.प./2018 दुर्ग, दिनांक : 03/04/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की द्वितीय बैठक बुधवार, दिनांक 28.03.2018 को अपरान्ह 02:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः

डॉ. ओ.पी.गुप्ता, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. चंद्रिका नाथवानी	– सदस्य	6. डॉ. व्ही.के.गोयल	– सदस्य
2. डॉ. ए.के.मिश्रा	– सदस्य	7. डॉ. पद्मा अग्रवाल	– सदस्य
3. श्री विद्यारतन भसीन	– सदस्य	8. श्री आनंद मिश्रा	– सदस्य
4. श्री अरूण वोरा	– सदस्य	9. श्री अशोक लोहिया	– सदस्य
5. श्री भैयाराम सिन्हा	– सदस्य	10. डॉ. प्रशांत श्रीधर बोकारे	– सदस्य

बैठक में प्रस्तुत विषयों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

विषय क्रमांक 01.

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की प्रथम (आपाती) बैठक दिनांक 13.01.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.01.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 02. (समस्त विभाग)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(क) (जिसके अंतर्गत प्रथम कुलपति को कार्यपरिषद और अन्य प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों एवं उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग एवं पालन किये जाने हेतु सशक्त किया गया है) के अनुसार दुर्ग विश्वविद्यालय के गठन से वर्तमान कार्यपरिषद के गठन तक सम्पादित कार्यों की सूचना ग्रहण किया जाना।

निर्णय :प्रस्तुत समस्त विषयों पर निम्नानुसार सूचना ग्रहण की गई :–

अकादमिक विभागः–

2.1 श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, ठाकुरटोला, राजनांदगांव (छ.ग.) में परिनियम–28 के अंतर्गत शिक्षा संकाय के लिए प्राचार्य की नियुक्ति की सूचना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.2 विश्वविद्यालय द्वारा 9 शासकीय महाविद्यालयों मे जनभागीदारी समिति एवं 41 अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकाय के अंतर्गत सदस्यों की नियुक्ति की सूचना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

स्थापना विभाग :–

2.3 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–2/2018/38–2, नया रायपुर दिनांक 22/02/2018 के द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान तथा मूल विज्ञान केन्द्र के लिए शैक्षणिक, तकनीकी एवं गैर शैक्षणिक 60 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। विदित हो कि दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के पत्र क्रमांक 267/स्था. /सेटअप शै./2017 दिनांक 23/08/2017 के द्वारा शैक्षणिक अध्ययनशालाओं के लिए शैक्षणिक, तकनीकी एवं गैर शैक्षणिक कुल 99 पदों की स्वीकृति हेतु मांग की गई थी, जिसके विरूद्ध कुल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.4 छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–5/2015/38–2, दिनांक 26/10/2015 के द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग हेतु विभिन्न 34 पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई

- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–5/2015/38–2, दिनांक 14/06/2016 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में पदस्थ 13 कर्मचारियों को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलियन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–5/2015/38–2, दिनांक 27/12/2016 के द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग हेतु 51 अतिरिक्त नवीन पदो के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- विश्वविद्यालय के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हेतु 104 अतिरिक्त गैर शैक्षणिक नवीन पदों की स्वीकृति हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव इस वि. वि. के पत्र क्रमांक 118/स्था./2017, दिनांक 07/09/2017 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर प्रेषित किया गया।
- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–5/2015/38–2 (पार्ट–1), दिनांक 27/09/2017 के द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के सेटअप में संचालक एवं सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) तथा समन्वयक (राष्ट्रीय सेवा योजना) के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–5/2015/38–2 (पार्ट–2), दिनांक 04/10/2017 के द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के विभिन्न 11 पदों को भरने तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 04 पदों को संविदा से भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई (छायाप्रति संलग्न)।
- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के पत्र क्र. 275/स्था./2017 दिनांक 27/11/2017 के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को संचालक (महाविद्यालय विकास परिषद) के पद के सृजन हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.5 श्री एस. एस. खंगन, सेवानिवृत्त उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग छ.ग. को विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में वित्त अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा शासन के आदेश की प्राप्ति की प्रत्याशा में मानदेय पर नियुक्ति की गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय के नोटशीट दिनांक 28/02/2017 के सन्दर्भ में उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगाँव से पत्र क्रमांक डी.डी./एल.एफ.ए./आर.जे.एन./पत्र/वि.वि./2369, दिनांक 23/03/2017 द्वारा अभिमत प्राप्त किया गया था।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.6 इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4–(2) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा सहित अनुमति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों 1. डॉ. जे.एल. गंगवानी, 2. श्री एस. एस. खंगन, तथा 3. श्री एस. पी. साहू के आवेदन दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के पत्र क्र/273/2017, दुर्ग दिनांक 27/11/2017 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को अग्रेषित किए गए।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.7 श्री एस. पी. साहू, सेवानिवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग छ.ग. की सहायक कुलसचिव/कुलपति के सचिव पद के विरूद्ध विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मानदेय पर नियुक्ति की गई।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.8 श्री अलख राम गंजीर, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड – 1, शास. नवीन महाविद्यालय, बेरला (बेमेतरा) को स्टेनोग्राफर पद के विरूद्ध लेखा शाखा में सहायक ग्रेड – 1 के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा श्री अलख राम गंजीर, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड – 1 को स्टेनोग्राफर पद के स्थान पर सहायक ग्रेड–1 पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

2.9 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तथा प्रश्न पत्र सेटिंग आदि के लिए प्राध्यापकों को प्राप्त होने वाले रेमुनरेशन राशि की सीमा में वृद्धि हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्ताव दिनांक 09/11/2017 को पारित किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.10 दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के 13 संविलियित कर्मचारियों के **GSLI** स्कीम बंद होने से उनकी बीमा राशि **GTIS** स्कीम में जमा करने के संबंध में परिनियम 33 में संशोधन हेतु प्रस्ताव दिनांक 06/11/2017 को पारित।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.11 छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–5/2015/38–2, दिनांक 08/11/2017 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदों को समर्पित कर 09 कर्मचारियों को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलियन की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के तारतम्य में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आदेश क्र. 751 दिनांक 22/02/2018 के द्वारा 2 एवं आदेश क्र. 753 दिनांक 22/02/2018 के द्वारा 05 कर्मचारियों को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलियन हेतु कार्यमुक्त किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.12 माननीय कुलाधिपति महोदय, राजभवन, रायपुर के आदेश क्र. एफ. 1–2/2015/रास/यू.19, दिनांक 05/03/2018 के परिपालन में डॉ. ओ. पी. गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 06/03/2018 को पूर्वान्ह में दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलपति पद का अस्थायी कार्य भार ग्रहण किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग :–</u>

2.13 दुर्ग विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2015–16 (स्थापना दिनांक से) एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण छ.ग. स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपादित किया गया जिनका अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 11.08.2017 को प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन में निहित 22 आपत्तियों में 13 आपत्तियों का निराकण कराया गया। 09 आपत्तियां निराकरण हेतु शेष हैं।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.14 वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 अंकेक्षण शुल्क भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 लेखा का स्थानीय निधि संपरीक्षा राजनांदगांव द्वारा भारित अंकेक्षण शुल्क राशि रू 8,38,646=00 लेखा शीर्ष–0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 110 सरकारी लेखा परीक्षा फीस में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 क में निहित शक्तियों के तहत कुलपति महोदय का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर चालान क्रं CH/211 दिनांक 19.05.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का अंकेक्षण शुल्क राशि रू 8,38,646=00 जमा किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.15 विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. सी. प्रबंधकीय अंश का भुगतान।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रं./छ.ग./क्षेका/राय/समन्वय/CGRAI - 1606123000/1017 के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों का माह अगस्त 2016 से जून 2017 तक का ई.पी.एफ एवं ई.एस.एस.आई.सी. राशि रू. 6,78,897=00 का भुगतान छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 क में निहित शक्तियों के तहत कुलपति महोदय का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.16 विश्वविद्यालय के विभिन्न मद से एक वर्ष अवधि के लिए सावधि जमा राशि रू. 125850000/— (बारह करोड़ अठावन लाख पचास हजार रू.मात्र) संबंधी सूचना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.17 राज्य परियोजना कार्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रायपुर के पत्र क्र – 04/रा.प.का./RUSA/2016 दिनांक–16/03/16 के द्वारा इस विश्वविद्यालय को अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्य हेतु राशि रू 20 करोड़ स्वीकृत की गई है।

जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त राशि रू 5,00,00,000=00/— (पांच करोड़ रू.मात्र) लोक निर्माण विभाग, दुर्ग को हस्तांतरित किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

<u>शारीरिक शिक्षा विभाग एवं खेलः—</u>

2.18 अंतर विश्वविद्यालयीन खेल—कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीमों के खिलाड़ियों पर व्यय हेतु (संलग्नक क्रमांक 2.18)।

सत्र 2016—17

(a) वि.वि. खिलाडियों को प्रशिक्षण हेतु 150/— रू. एवं प्रतियोगिता हेतु 250/— रू. की दर से दैनिक भत्ता दिया गया।

(b) वि.वि. टीम मेनेजर को प्रशिक्षण हेतु 200/— रू. एवं प्रतियोगिता हेतु 300 रू. की दर से दैनिक भत्ता दिया गया।

(c) खिलाड़ियों एवं मेनेजर, कोच को 2016—17 में 470/— रू. की दर से ट्रेक सूट प्रदान किया गया।

(d) वि.वि. टीम के साथ जाने वाले मेनेजर/ प्रशिक्षक को 2000/— रू. का विशेष भत्ता प्रदान किया गया।

(e) वि. वि. खिलाड़ियों को 500/— रू. की दर से गणवेश एवं शू प्रदान किया गया एवं मैनेजर कोच को केवल शू प्रदान किया गया।

(f) वि. वि. टीम चयनकर्ता को स्थानीय प्रतियोगिता में 500/— रू. का मानदेय एवं 100/— रू. प्रतिदिन की दर से वाहन भत्ता दिया गया एवं जिले के बाहर जाने वाले चयनकर्ताओं को 500/— रू. मानदेय एवं 250/— रू. की दर से भत्ता एवं आने— जाने का वास्तविक किराया दिया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.19 सत्र् 2016—17 में वि.वि. द्वारा सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु सब्सिडी राशि 3,04,000/— (तीन लाख चार हजार रूपये) प्रदान किया गया (छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग खेल—कूद मार्गदर्शिका 2015—16 के अनुसार)।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.20 सत्र 2016–17 में वि.वि. द्वारा अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता आयोजन हेतु सब्सिडी राशि 1,90,000/–(एक लाख नब्बे हजार) प्रदान किया गया (दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा स्वयं के अधिन आयोजित खेल–कूद)।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.21 अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अलग से 2016–17 में परीक्षा आयोजित की गयी।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.22 (a) सत्र 2017–18 में वि. वि. खिलाड़ियों को 500/– रू. की दर से गणवेश शू एवं ट्रेक सूट दिया गया तथा मेनेजर, कोच को केवल 500/– रू. की दर से ट्रेक सूट दिया गया।

(b) सत्र 2017–18 में वि.वि. टीम के साथ जाने वाले मेनेजर/ प्रशिक्षक को 2500/– रू. का विशेष भत्ता प्रदान किया गया।

(c) सत्र 2017–18 में वि.वि. टीम के प्रति सदस्यों एवं मेनेजर, कोच को 200/– रू. की दर से ऑटो/टेक्सी पर व्यय दिया गया।

(d) सत्र 2017–18 में वि. वि. टीम चयनकर्ता को स्थानीय प्रतियोगिता में 500/– रू. का मानदेय एवं 100/– रू. प्रतिदिन की दर से वाहन भत्ता दिया गया एवं जिले के बाहर जाने वाले चयनकर्ताओं को 1000/– रू. मानदेय एवं 300 रू. की दर से भत्ता एवं आने– जाने का वास्तविक किराया दिया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग :–

2.23 कार्यालय कलेक्टर जिला–दुर्ग (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 18827/प्र.नजूल/2016, दुर्ग दिनांक 03.11.2016 के द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी दुर्ग के राजस्व प्रकरण क्रमांक 07 अ 20(1) वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 के अनुसार ग्राम–पोटियाकला प.ह.न. 23 अ रा.नि.मं. कसारीडीह तहसील जिला–दुर्ग स्थित कुल 16.542 हे. शासकीय भूमि को दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, छात्रावास, पुस्तकालय एवं अन्य विद्यालयीन भवनों के निर्माण हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर को पत्र में उल्लेखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की सूचना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.24 विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ––

1. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक होने के कारण पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि० रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कराने वाले अनुबंधित फर्म मे० इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, भिलाई (जो पं० कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता वि०वि०, रायपुर एवं स्वामी विवेकानंद छ०ग० तकनीकी वि० वि० भिलाई में सिक्युरिटी सेवा प्रदाता फर्म है) से पं०रवि०वि०वि०, रायपुर के अनुबंधित दर पर ही इस विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कार्य के लिए फर्म मे० इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, भिलाई एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के मध्य दि० 30.07.2016 को अनुबंध किया गया (अनुबंध की छायाप्रति संलग्न है) ।

2. अनुबंध उपरान्त श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 छ०ग०, रायपुर द्वारा जारी अनुसूची "स" सुरक्षा गार्ड में नियोजन में दर्शित दर रू. 255/- प्रति गार्ड (छायाप्रति संलग्न है) + फर्म का सेवा शुल्क रू. 01% के आधार पर वि०वि० के पत्र क्र० 391/विकास/सु०व्यव०/2016 दि० 28.07.2016 के द्वारा संबंधित फर्म को कार्यादेश जारी किया गया (छायाप्रति संलग्न है) । (देयक की छायाप्रति संलग्न है)

3. श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 छ०ग०, रायपुर द्वारा जारी अनुसूची –"ख" अनुसूची नियोजन भाग–एक के 45 नियोजन (दि. 01.04.2017 से 30.09. 2017 तक) के अनुसार **"अ"** जोन के अर्द्धकुशल श्रमिकों को रू. 350/- प्रतिदिन वेतन निर्धारित किया है (छायाप्रति संलग्न है) जिसके आधार पर वि०वि० द्वारा फर्म को रू. 350/-प्रति गार्ड प्रतिदिन के दर पत्र क्र. 53A/डीयू/विकास/2017 दि. 29.07.2017 के द्वारा कार्यादेश प्रेषित किया गया तथा भुगतान किया जा रहा है । (देयक की छायाप्रति संलग्न है)।

4. विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर राशि रू. 15.00 लाख वार्षिक व्यय अनुमानित है।

5. विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी निविदा आमंत्रित की गई है । निविदा प्रकिया सफल व पूर्ण होने तक अनुबंध की शर्तो तथा कार्यालय, श्रमायुक्त छ०ग०, रायपुरद्वारा निर्धारित दर रू० 350/- प्रति दिन के दर से फर्म मे० इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, भिलाई से विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जा रहा है ।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.25 विश्वविद्यालयीन परीक्षायें 2016–2017 के लिए उत्तर पुस्तिका निर्माण बाबत् :—–

1. विश्वविद्यालय की मुख्य/पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2016–17 के लिए मुख्य एवं पूरक उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए न्यूनतम निविदा दर पर उत्तर–पुस्तिका निर्माण हेतु फर्म मे0 कैला इन्टरप्राईजेस, आगरा एवं मे0 कयूमी प्रिटिग प्रेस, रायपुर से उत्तर–पुस्तिका मुद्रण हेतु दि0 23.09.2016 को अनुबंध निष्पादित किया गया।
2. अनुबंध उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उक्त दोनों फर्मो को समान संख्या में मुख्य एवं पूरक उत्तर–पुस्तिका मुद्रण हेतु कार्यादेश जारी किया गया।
3. दोनों फर्मो से मुख्य उ0पु0 15,05,000 नग एवं पूरक उ0पु0 12,00,00 नग कुल 27,05,000 नग उत्तर पुस्तिका का मुद्रण कराया गया जिसकी कुल मुद्रण राशि रू0 68,03,100=00 का भुगतान संबंधित फर्मो को धनादेश /NEFT के माध्यम से भुगतान किया गया।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.26 विश्वविद्यालय की सत्र 2016–17 की परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य के संबंध में।

1. पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने निविदा आधार पर सत्र 2015–16 की परीक्षाओं के परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् (Pre & Post Examination Work) कार्य के लिए फर्म मे0 लर्निग स्पायरल प्रा0लि0, कोलकाता से दि0 10.09.2015 को अनुबंध किया।
2. इस विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2016–17 में प्रथम बार सेमेस्टर, मुख्य एवं पूरक परीक्षायें आयोजित करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात कार्य के लिए निविदा आधार पर दर स्वीकृत करने पर विलंब होने की संभावना के कारण पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के स्वीकृत निविदा दर पर ही इस विश्वविद्यालय की परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात कार्य के लिएफर्म मे0 लर्निग स्पायरल प्रा0लि0, कोलकाता से विश्वविद्यालय द्वारा दि0 15.06.2017 को अनुबंध किया गया।
3. अनुबंध उपरान्त वर्ष 2016–17 की परीक्षाओं के परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् के लिए पत्र क्र0 61/विकास/2017 दि0 08.10.2016 के द्वारा फर्म मे0 लर्निग स्पायरल प्रा0लि0, कोलकाता को कार्यादेश प्रेषित किया गया।
4. विश्वविद्यालय की सत्र 2016–17 की परीक्षाओं के परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य करने के उपरान्त फर्म मे0 लर्निग स्पायरल प्रा0लि0, कोलकाता को उनके देयक अनुसार कुल राशि रू0 19,72,359=00 (रू. उन्नीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ उन्सठ मात्र) का भुगतान किया गया।

निर्णय :कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.27 विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अंकसूची हेतु नॉन टेयरेबल 125 माईक्रोन पेपर क्रय के संबंध में।

1. विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को अंकसूची नॉन टेयरेबल (NON TEARABLE) 125 माईक्रोन पेपर में प्रिंट कर प्रदाय किये जाने के लिए फर्म मे0 ऑफसेट प्रिंटिंग हाऊस, सतना के न्यूनतम निविदा दर रू. 25=75 को क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया।
2. क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दर को कुलसचिवजी एवं कुलपति महोदय द्वारा निविदा दर में कमी करने / विचार करने हेतु आदेश दिये गये जिसे परिपालन में पत्र क्र. 67/2017 दि. 03.02.2017 के द्वारा संबंधित फर्म को पत्र प्रेषित किया गया। फर्म ने उक्त पत्र के अनुक्रम में अपने पत्र दि. 04.02.2017 के द्वारा पूर्व निविदा दर को विलोपित करते हुए 19.75 प्रति नग अंकसूची कर दर प्रस्तुत किया है जिसे कुलपति महोदय एवं कुलसचिव जी द्वारा अनुमोदन किया गया।
3. वि0वि0 के पत्र क्र0 72/विकास/2017 दि. 01.03.17 के द्वारा 1,10,00 नग एवं पत्र क्र0 32/विकास/2017 दि. 29.06.17के द्वारा27,500 नग कुल 1,37,500 नग 125 माईक्रोन पेपर आपूर्ति करने हेतु फर्म मे0 ऑफसेट प्रिंटिंग हाउस, सतना को कार्यादेश प्रेषित किया गया ।
4. वि0वि0 में कुल 1,37,500 नग 125 माईक्रोन पेपर आपूर्ति करने के उपरान्त फर्म मे0 ऑफसेट प्रिंटिंग हाउस, सतना को कुल देयक राशि रू. 27,15,625/- का भुगतान किया गया ।

निर्णय :कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.28 स्टेशनरी सामग्री क्रय के संबंध में —

1. विश्वविद्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के लिए न्यूनतम निविदा दर एवं गुणवत्ता आधार पर स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने हेतु फर्म मे0 मारूति ट्रेडर्स, रायपुर, मे0 गोदावरी इंटरप्राइजेस, रायपुर एवं मे0 स्वस्तिक प्रिंटरी, रायपुर के दर को क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया।
2. क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दर को कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा अनुमोदन किया गया।
3. वि0वि0 में स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने हेतु उपरोक्त तीनों फर्मो को कार्यादेश जारी किया गया।
4. फर्मो द्वारा वि0वि0 में कार्यादेश अनुसार स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने के उपरान्त तीनों फर्मो को उनके देयकों के अनुसार कुल राशि रू. 6,49,980=00 का भुगतान किया गया ।

निर्णय :कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.29 परीक्षा एवं गोपनीय कार्य हेतु डिजीटल डुप्लीकेटर मशीन क्रय के संबंध में —

1. परीक्षा एवं गोपनीय कार्य के लिए डिजीटल डुप्लीकेटर मशीन क्रय करने की कुलपति महोदय एवं कुलसचिव से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

2. डिलीटल डुप्लीकेटर मशीन निर्माता कंपनियों (Duplo & RISO) के स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि/फर्म से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा GeM Price पर क्रमशः **8%** एवं **7%** छूट प्रदाय किया गया। मशीन क्रयण के संबंध में अभिमत के लिए उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, संभागीय कार्यालय,राजनांदगांव को पत्र क्र.1151/2017 दि0 22.03.2017 जारी किया गया।
3. उपरोक्त पत्र के प्रतिउत्तर में उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव ने अपने पत्र क्र.–डी.डी./एल. फ.ए./आर.जे.एन./पत्रा./वि.वि./2368 दि. 23. 03.2017 के द्वारा– छूट प्राप्त होने पर बाजार मूल्य स्पर्धा का लाभ प्राप्त हो रहा है, अतः मान्य योग्य है बाबत् अभिमत दिया है।
4. तदुपरान्त मशीन के GeM Price पर छूट प्राप्त होने पर निम्न विवरण अनुसार मशीन आपूर्ति करने हेतु संबंधित फर्मो को पत्र क्र. 1142 एवं 1144/Dev/2017 दि. 20.03. 2017 के द्वारा कार्यादेश प्रेषित किया गया :—

क्र.	मशीन का नाम व माडल	GeM Price	Gem Price पर छूट %	छूट पश्चात् मशीन का दर	फर्म का नाम व पता
01.	Digital Duplicater Duplo Model - DP – L510	3,08,734=00	8% (24,699/-)	2,84,035=00	M/s Techmart Digital Systems Pvt.Ltd. New Delhi
02.	Digital Duplicater RISO – SF 5330	4,14,960=00	7% (29,047/-)	3,85,913=00	M/s Digital Automation, Raipur.
03.	Total Amount --			6,69,948=00	

तद्नुसार संबंधति फर्मो के द्वारा वि0वि0 में मशीन आपूर्ति करने के उपरान्त छूट अनुसार उनके देयकों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया ।

निर्णय :कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.30 अंकसूची मुद्रण कार्य हेतु कलर डिजीटल प्रिंटर मशीन (Konika Minolta) क्रय के संबंध में ।

1. विभिन्न परीक्षाओं की अंकसूची मुद्रण कार्य के लिए 02 कलर डिजीटल प्रिंटर मशीन क्रय करने की कुलपति महोदय एवं कुलसचिवजी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।
2. अंकसूचियों के मुद्रण कार्य के लिए Konika Minolta कंपनी की डिजीटल कलर प्रिंटर मशीन मॉडल – bizhub C258 एवं bizhub C368 मशीन को गुणवत्तायुक्त मुद्रण के लिए उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त कोनिका मिनोल्टा कंपनी के स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि/फर्म CASYON MultiElectronics, Raipur से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा उपरोक्त मशीन के GeM Price पर छूट 10% छूट दिये जानेबाबत् पत्र दि. 24.06.2017 के माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

SN .	Description	Company Price	GeM Price	GeM Price at 10% Discount	Net price after Discount
01.	MULTI FUNCTION PRINTER bizhub **C 258.** KONICA MINOLTA	3,92,048.00	2,88,946.00	28,895.00	2,60,051.00
02.	MULTI FUNCTION PRINTER bizhub **C 368.** KONICA MINOLTA	5,00,048.00	4,20,000.00	42,000.00	3,78,000.00
03.	Net price after discount --				6,38,051.00

3. तदुपरान्त मशीन के GeM Price पर छूट प्राप्त होने पर वि0वि0 में मशीन आपूर्ति करने हेतु संबंधित फर्म को पत्र क्र. 33/Dev/2017 दि. 29.06.2017 के द्वारा कार्यादेश प्रेषित किया गया।
4. संबंधति फर्म को मशीन आपूर्ति करने पर छूट अनुसार कुल देयक राशि रू. 6,38,054=00 (रू0 छैः लाख अड़तीस हजार चौंवन मात्र) का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया ।

निर्णय :कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.31 विश्वविद्यालय के कार्यालयीन उपयोग हेतु कम्प्यूटर क्रय के संबंध में —
1. विश्वविद्यालय के कार्यालयीन उपयोग के लिए निविदा आधार पर कम्प्यूटर क्रय करने हेतु की कुलपति महोदय एवं कुलसचिव जी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई।
2. न्यूनतम निविदा दर आधार पर फर्म मे0 मितश्री इंफोटेक, रायपुर से Desk Top Computer(LenoveM 910 Tower) कम्प्यूटर क्रय करने हेतु वि0वि0 क्रय समिति ने अनुशंसा की है।
3. क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दर को कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा अनुमोदन किया गया।
4. वि0वि0 में कम्प्यूटर आपूर्ति करने हेतु संबंधित फर्म को पत्र क. 79/Estt./2017 दि. 30.08.2017 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया।
5. संबंधित फर्म द्वारा वि0वि0 में कार्यादेश अनुसार Desk Top Computer (LenoveM 910 Tower) आपूर्ति करने के उपरान्त फर्म को उनके देयक के अनुसार कुल राशि रू. 11,93,750=00 का भुगतान किया गया ।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.32 विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 की परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य के संबंध में –
1. विश्वविद्यालय की सत्र 2017–18 की विभिन्न परीक्षाओं की परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य संपादन (अनुमानित राशि रू. 03.00 करोड़) के लिए निविदा आधार पर कार्य कराने की कुलपति महोदय एवं कुलसचिव जी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई।

2. वि0वि0 क्रय समिति ने न्यूनतम निविदा दर आधार पर चयनित परीक्षा एजेंसी से परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य कराये जाने की अनुशंसा की है।
3. क्रय समिति की अनुशंसा को कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी द्वारा अनुमोदन किया गया।
4. तद्नुसार वि0वि0 की परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य के लिए संबंधित फर्म एवं वि0वि0 के मध्य दि0 14.08.2017 को अनुबंध किया गया । अनुबंध उपरान्त संबंधित फर्म को पत्र क. 71B/विकास/2017 दि. 22.08.2017 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया।

वि0वि0 के साथ हुए अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार संबंधित फर्म द्वारा वि0वि0 का परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य संबंधी कार्य किया जा रहा है ।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई तथा परीक्षा एजेंसी का नाम गोपनीय रखे जाने का निर्देश दिया गया।

2.33 विश्वविद्यालय उपयोग के लिए वाहन क्रय के संबंध में —

1. वि0वि0 के उपयोग के लिए निर्माता कंपनी से वाहन क्रय की स्वीकृति माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी से प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न है)।
2. नव गठित दुर्ग विश्वविद्यालय के दैनिक परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विश्वविद्यालय के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुरके पत्र क्र0 250/4502/2015/38–2 रायपुर दि0 23.01.2016 के द्वारा बजट वर्ष 2015–16 में दुर्ग विश्वविद्यालय हेतु कुलपतिजी हेतु 10 लाख एवं कुलसचिवजी हेतु 06 लाख सीमा के अधीन एक–एक वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त है।
3. वाहन क्रय की स्वीकृति उपरान्त कुलपतिजी हेतु वाहन Toyota Etios VXD White एवं कुलसचिवजी हेतु वाहन Toyota Etios V White निर्माता कंपनी से DGS&D दर पर क्रय किया गया।
4. तदुपरान्त विश्वविद्यालय के वाहनों में पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प सेक्टर–6, भिलाई द्वारा संचालित पेट्रोल पम्प से उधार क्रय पद्धति आधार पर नियमित ईंधन उपलब्ध कराने हेतु उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), दुर्ग को पत्र क्र0 62/2016 दि0 25.01.2016 जारी किया गया। पत्र के अनुक्रम में विश्वविद्यालय को नियमित ईंधन प्राप्त हो रहा है (अनुमानित राशि रू. 05.00 लाख से अधिक)
5. उपरोक्त के उपरान्त विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं गोपनीय कार्य हेतु तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए DGS&D दर पर निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लि. से **02 टाटा सुमो गोल्ड** वाहन का क्रय किये जाने हेतु पत्र क्र. 802/2016 दि0 09.11.2016 के द्वारा कार्यादेश प्रेषित किया गया(छायाप्रति संलग्न है) जिसके क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र0 एफ 3–5/2017/38–2 दि0 21.09.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई।
6. विश्वविद्यालय के परीक्षा व गोपनीय कार्य के लिए GeM द्वारा निर्धारित दर पर 03 वाहन क्रय करने की अनुमति के लिए आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ0ग0 शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को पत्र क्र0 359/स्थापना/विकास/2017 दि0 08.11.2017 को पत्र प्रेषित किया गया।

7. विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्य – प्रश्नपत्रों के वितरण, उत्तर पुस्तिका परिवहन व अन्य परीक्षा व गोपनीय कार्य के लिए वाहन की अत्यंत आवश्यकता होने के कारण परिवहन कार्य के लिए बंद किए जा सकने वालेसुरक्षित वाहन जो महेन्द्रा कंपनी के वाहन माडल नं0 –Mahendra DI 3200 HSD BSIV PS Refresh वि0वि0 के उपरोक्त कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया । तदुपरान्त वाहन क्रय के संबंध में वाहन निर्माता कंपनी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा (लि0) मोटर कंपनी, रायपुर से संपर्क कर उपरोक्त माडल के वाहन का GeM द्वारा निर्धारित दर रू. 7,86,880=00 (प्रति वाहन) प्राप्त किया गया (छायाप्रति संलग्न है) । GeM द्वारा निर्धारित दर रू. 7,86,880=00 के दर से 03 वाहन क्रय किष्या गया जिस पर कुल रू. 23,60,640=00 का व्यय हुआ है जिसका भुगतान बजट शीर्ष F. Examination & Evaluation Adm. 2 (F) Purchase of New Vehicle मद में प्रावधानित राशि रू. 30.00 लाख में से किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र0 एफ 3–5/2017/38–2 दि0 24.02.2018 के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

2.34 विश्वविद्यालय में कार्यालयीन उपयोग के लिए wi-fi की आवश्यकता को दिृष्टिगत रखते हुए माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय का अनुमोदल प्राप्त कर एक वर्ष के लिए इंटरनेट लीज्ड लाइन हेतु राशि रूपये 5,51,001 (पांच लाख इक्यावन हजार एक रू.मात्र) व्यय हुआ है माननीय कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 03.

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की प्रथम बैठक दिनांक 27.03.2018 में प्रस्तुत किये गये विषयों पर लिये गये निर्णयों/कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः निर्णयों/कार्यवृत्त की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। बिन्दु क्रमांक 06 कि विषय में कार्यपरिषद द्वारा संस्तुति की गई कि परीक्षार्थी को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर अथवा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ देने का विकल्प दिया जाए तथा इस संबंध में एक वचन पत्र (Undertaking) प्राप्त कर लिया जाए।

विषय क्रमांक 04. (अकादमिक विभाग)

1. परिनियम 28 के तहत सांदीपनी महाविद्यालय, अछोटी, जिला–दुर्ग में संचालित बी.ए.बी. एड. एव बी.एस.सी. बी.एड. विभाग के विभागाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित प्रत्याशी के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद के समक्ष महाविद्यालय द्वारा प्रेषित लिफाफा खोला गया, पर्याप्त संख्या में आवेदन न होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया पुनः आरंभ करने हेतु महाविद्यालय को सूचना दिये जाने का निर्णय लिया गया।

2. परिनियम 28 के तहत शैलदेवी महाविद्यालय, अण्डा, जिला–दुर्ग में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित प्रत्याशी के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद के समक्ष महाविद्यालय द्वारा प्रेषित लिफाफा खोला गया, पर्याप्त संख्या में आवेदन न होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया पुनः आरंभ करने हेतु महाविद्यालय को सूचना दिये जाने का निर्णय लिया गया।

3. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई, जिला–दुर्ग, संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, ठाकुरटोला, जी.ई.रोड, राजनांदगांव तथा कांन्फ्लूएंस कॉलेज ऑफ हायर एज्यूकेशन, राजनांदगांव के शासी निकायों के अंतर्गत कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हेतु नामित दो सदस्यों के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः उपर्युक्त महाविद्यालयों में शासी निकाय हेतु कुलपति महोदय द्वारा नामांकित सदस्यों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 05. (परीक्षा विभाग)

1. मुख्य परीक्षा 2018 हेतु केन्द्र अग्रिम की प्रथम किस्त की राशि रू. 9686935/– (छियानबे लाख छियासी हजार नौ सौ पैंतीस रूपये मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. मुख्य परीक्षा 2018 हेतु केन्द्र अग्रिम की द्वितीय किस्त की राशि 2300000/– (तेईस लाख रूपये मात्र) की स्वीकृति एवं अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 06. (वित्त विभाग)

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 के वास्तविक आय एवं व्यय पत्रक वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित आय व्यय पत्रक एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमानित आय व्यय पत्रक (बजट) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6(24)(ड) विश्वविद्यालय की शक्तियों के अंतर्गत समाजसेवा स्कीमों, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की व्यवस्था तथा केन्द्र शासन तथा राज्य शासन प्रवर्तित योजनाओं के लिए 20 लाख रू. बजट में प्रावधानित किये जाने के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा बजट प्रस्ताव के अंतर्गत पारित किया गया।

विषय क्रमांक 01. (टेबल एजेण्डा)

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–2/2018/38–2; दिनांक 22.02.2018 द्वारा गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा मूल विज्ञान केन्द्र अध्ययन शाला खोले जाने हेतु 60 पदों का सेटअप स्वीकृत किया गया है।
दुर्ग विश्विद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। उपर्युक्त स्वीकृति के आधार पर दुर्ग विश्वविद्यालय में उपर्युक्त विषयों के वर्ष 2018–19 में 6 अध्ययन शालायें संचालित किये जाने एवं भवन किराया पर लिए जाने हेतु विचार करना।
(उपर्युक्त संबंध में वर्ष 2018–19 के बजट में लगभग रू. 790.00 लाख का व्यय प्रावधानित है।)

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा बजट प्रस्ताव के अंतर्गत पारित किया गया।

विषय क्रमांक 02. (टेबल एजेण्डा)

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पूर्व में निर्धारित तथा प्रदत्त अनुसार) अकादमिक परिषद/कार्यपरिषद/अध्ययन मंडल एवं अन्य बैठकों में आवश्यकतानुसार सदस्यों/आमंत्रित विशेषज्ञों को सीटिंग फीस तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित विभिन्न निरीक्षण समितियों के सदस्यों को संबंधित संस्थान द्वारा सीटिंग फीस प्रति सदस्य 1000.00 रू. (एक हजार रू. मात्र) दिए जाने की सूचना ग्रहण करना।
उक्त राशि में वृद्धि तथा अनुमोदन के लिए समन्वय समिति को प्रेषित करने हेतु विचार करना।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 04. (टेबल एजेण्डा)

सेमेस्टर परीक्षा हेतु केन्द्रों से संबंधित
आगामी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा (मई–जून) 2018 हेतु पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों की सुविधा, छात्र संख्या एवं यातायात संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए नवीन परीक्षा केन्द्र एवं पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों का पुनर्निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव।

निर्णयः कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में प्रस्तुत विषयसूची एवं टेबल एजेंडा के शेष समस्त विषय के प्रस्तावों को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 1592 /अका./का.प./2018 दुर्ग, दिनांक : 03/04/2018

प्रतिलिपिः

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,नया रायपुर।
3. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. कुलपति के सचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
5. समस्त विभाग, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहायक कुलसचिव (अका.)
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)